



CENTRAL COALFIELDS LIMITED

A Mini Ratna Company
(A Subsidiary of Coal India Limited)
OFFICE OF THE PROJECT OFFICER
MAGADH OCP



PO/Mag/Forest/Magadh OCP East/2022-23/358

Date: 11/05/2022

O/C

To
The Divisional Forest Officer,
Chatra South Division
Chatra

Sub: Point wise reply of the quarry raised by your good office in respect of
Magadh OCP East 192.36 Ha (Application No FP/JH/MIN/87235/2020
dated 19.03.2021)

Reference No: 471; Dated 08.03 2022

Dear Sir,

Please find enclosed here with the reply of quarry raised by your good office
vide letter no No. 471; dated 08.03.2022 in respect of diversion for 192.36 Ha
forestland in favor of Magadh OCP East (Application No FP/JH/MIN/87235/2020
dated 19.03.2021)

This is for your kind information and necessary action please.

Thanking You,

Yours faithfully

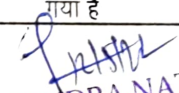
(PROJECT OFFICER)

Magadh OCP
Magadh Sanghmitra Area

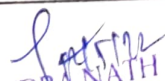
NIRPENDRA NATH
Project Officer
Magadh Project



	Observation	Compliance
1	पार्ट-1 की कंडिका A1 (i) में Scheme for which forest land is required के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। इस परियोजना हेतु वनभूमिलेने का क्या औचित्य है के संबंध में स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य है।	पार्ट-1 की कंडिका A1 (i) में सुधार कर दिया गया है
2	पार्ट-1 की कंडिका A 3 (ii) में Details of person making application में अवनशि कुमार नाम अंकित है जबकि प्रस्ताव की सभी पृष्ठों पर नपिन्द्र नाथ, परियोजना पदाधिकारी का नाम के साथ हस्ताक्षर अंकित है। उक्त कंडिका में Person Making application में नपिन्द्र नाथ परियोजना पदाधिकारी का नाम अंकित किया जाना उचित है।	पार्ट-1 की कंडिका A 3 (ii) में सुधार कर दिया गया है
3	पार्ट-1 की कंडिका B 1 में List of proposal submitted in past में शुन्य अंकित है, जबकि मिगध ओ0सी0पी0 96.72 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा अंतिम स्वीकृत प्राप्त है। ऐसी स्थिति में उसकी पूर्ण विवरणी वहिति परपत्र में अंकित करना अनिवार्य है।	पार्ट-1 की कंडिका B 1 में सुधार कर दिया गया है
4	पार्ट-1 की कंडिका B 2.4 में Component wise breakup में एवं पर्यावरणीय स्वीकृति में दिये गये Component wise कार्य करने हेतु उल्लेख के अनुसार Component wise breakup में काफी भिन्नता है। इसे स्पष्ट किया जाय।	पर्यावरणीय स्वीकृति 20MTY के लिए निर्गत किया गया है। जिसमें दो जिला सम्मिलित है चतरा एवं लातेहार। लातेहार जिला में CS VS RS issue क विजह से इस प्रस्ताव को दो भाग में किया गया है। यह परियोजना केवल चतरा जिला के लिए किया गया है इसलिए component wise breakup में भिन्नता है।
5	पार्ट-1 की कंडिका C (ii) (a) में Number of patches- 10 अंकित है जबकि अपयोजित होने वाले वनभूमि का कुल रकबा 9 पैचवार रकबा से ही पूर्ण हो जाती है। पैच नं0 10 का KML File upload करने का क्या औचित्य है	पार्ट-1 की कंडिका C (ii) (a) में पैच नं0 10 का KML File में आउटर boundry को दर्शाया गया है
6	पार्ट-1 की कंडिका C (iii) में 1:50000 स्केल में टोपो मैप पर अपयोजित होने वाले वनभूमि को दर्शाते हुए अपलोड किया गया है परन्तु प्राधिकृत पदाधिकारी को नाम, मुहर के साथ तथियुक्त हस्ताक्षर अंकित नहीं है।	पार्ट-1 की कंडिका C (iii) में 1:50000 स्केल में टोपो मैप में प्राधिकृत पदाधिकारी को नाम, मुहर के साथ तथियुक्त हस्ताक्षर अंकित कर दिया गया है
7	पार्ट-1 की कंडिका C (iv) में अपयोजित होने वाले वनभूमि का Geo-reference map in shape file अपलोड किया गया है परन्तु प्राधिकृत पदाधिकारी को नाम, मुहर के साथ तथियुक्त हस्ताक्षर अंकित नहीं है।	पार्ट-1 की कंडिका C (iv) में अपयोजित होने वाले वनभूमि का Geo-reference map in shape file में प्राधिकृत पदाधिकारी को नाम, मुहर के साथ तथियुक्त हस्ताक्षर अंकित कर दिया गया है
8	पार्ट-1 की कंडिका D (i) में अपयोजित होने वाले वनभूमि के संबंध में Justification Letter" अपलोड किया गया है परन्तु प्राधिकृत पदाधिकारी को नाम, मुहर के साथ तथियुक्त हस्ताक्षर अंकित नहीं है।	पार्ट-1 की कंडिका D (i) में अपयोजित होने वाले वनभूमि के संबंध में जो "Justification Letter" अपलोड किया गया है उस, में प्राधिकृत पदाधिकारी को नाम, मुहर के साथ तथियुक्त हस्ताक्षर अंकित कर दिया गया है


 NIRPENDRA NATH
 Project Officer
 Magadh Project

9	पार्ट-1 की कंडिका G(i) में वषियगत परियोजना से संबंधित हान-लाभ वशिलेष्ण भारत सरकार द्वारा नरिगति प्रपत्र में अपलोड किया गया है परन्तु प्राधकृत पदाधिकारी को नाम, मुहर के साथ तथियुक्त हस्ताक्षर अंकित नहीं है।	पार्ट-1 की कंडिका G(ii) में वषियगत परियोजना से संबंधित हान-लाभ वशिलेष्ण में प्राधकृत पदाधिकारी को नाम, मुहर के साथ तथियुक्त हस्ताक्षर अंकित कर दिया गया है।
10	पार्ट-1 की कंडिका H(i)(c) में वषियगत परियोजना से संबंधित भारत सरकार द्वारा नरिगत पर्यावरणीय स्वीकृत पत्र अपलोड किया गया है परन्तु प्राधकृत पदाधिकारी को नाम, मुहर के साथ तथियुक्त हस्ताक्षर अंकित नहीं है। साथ ही कंडिका H(i)(d) में पर्यावरणीय स्वीकृत का तथि अंकित करना है जहाँ शून्य अंकित किया गया है। इसमें सुधार की आवश्यकता है।	पार्ट-1 की कंडिका H(i)(c) में वषियगत परियोजना से संबंधित भारत सरकार द्वारा नरिगत पर्यावरणीय स्वीकृत पत्र में प्राधकृत पदाधिकारी को नाम, मुहर के साथ तथियुक्त हस्ताक्षर अंकित कर दिया गया है। साथ ही कंडिका H(i)(d) में पर्यावरणीय स्वीकृत का तथि अंकित कर दिया गया है।
11	पार्ट-1 की कंडिका K(i) वषियगत परियोजना से संबंधित उपायुक्त, चतरा द्वारा नरिगत वनाधिकार अधिनियम, 2006 से संबंधित अपलोड प्रमाण-पत्र अपूर्ण है। इसका अनुपालन अपेक्षित है।	पार्ट-1 की कंडिका K(i) वषियगत परियोजना से संबंधित उपायुक्त, चतरा द्वारा नरिगत वनाधिकार अधिनियम, 2006 से संबंधित पूर्ण प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है।
12	पार्ट-1 की कंडिका L (iii) में Reason for not providing non forest land के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। इसे स्पष्ट किया जाय।	Not Editable online
13	पार्ट-1 की कंडिका M.1.(a) में Total Area of the mining lease (in ha); 495.92 ha. Area अंकित है जबकी भारत सरकार द्वारा वषियगत परियोजना में कुल 1769 हे० भूमि पर पर्यावरणीय स्वीकृती प्रदान की गई है। दोनों में वरिधाभाषी है। स्पष्ट करें।	पार्ट-1 की कंडिका M.1.(a) में Total Area of the mining lease (in ha); 495.92 ha. Area अंकित है जबकी भारत सरकार द्वारा वषियगत पर्यावरणीय स्वीकृती 20 MTY (1769 Ha) नरिगत किया गया है। नरिगटि किया हुआ पर्यावरणीय स्वीकृती दो जिला (चतरा एवं लातेहार) के लिए प्रदान किया गया है। लातेहार जिला में CS vs RS इशु के वजह से यह प्रपोजल केवल चतरा जिला के लिए किया गया है जिसमें 495.92 Ha सम्मिलित है। जिस हेतु चतरा जिला के भूमि को ले के अलग से बोर्ड द्वारा Approved Mining Plan किया गया है।
14	पार्ट-1 की कंडिका M.2.(i) & (iv) में Approval of mining plan and approved of mining plan अपलोड किया गया है परन्तु प्राधकृत पदाधिकारी को नाम, मुहर के साथ तथियुक्त हस्ताक्षर अंकित नहीं है।	पार्ट-1 की कंडिका M.2.(i) & (iv) में Approval of mining plan and approved of mining plan में प्राधकृत पदाधिकारी को नाम, मुहर के साथ तथियुक्त हस्ताक्षर अंकित कर दिया गया है।
15	पार्ट-1 की कंडिका M.2.(vi) में Land use plan अपलोड किया गया है परन्तु प्राधकृत पदाधिकारी को नाम, मुहर के साथ तथियुक्त हस्ताक्षर अंकित नहीं है।	पार्ट-1 की कंडिका M.2.(vi) में Land use plan प्राधकृत पदाधिकारी को नाम, मुहर के साथ तथियुक्त हस्ताक्षर अंकित कर दिया गया है।

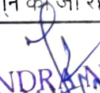

 NIRPENDRA NATH
 Project Officer
 Magadh Project

16	पार्ट-1 की कंडिका M.6.(i) में Details of approval under the Forest (Conservation) Act, 1980 में Nil अंकित है। इसमें मागध ओसी0पी0 96.72 हे0 प्राप्त अंतिम स्वीकृति के संबंध में सभी कॉलम में स्पष्ट अंकित किया जाया गया है परन्तु प्राधिकृत पदाधिकारी को नाम, मुहर के साथ तथियुक्त हस्ताक्षर अंकित नहीं है।	पार्ट-1 की कंडिका M.6.(i) में Details of approval under the Forest (Conservation) Act, 1980 में yes अंकित कर दिया गया है।
17	पार्ट-1 के Additional Information Details में ED, Nodal द्वारा प्राप्त दशिया नरिदेश के अनुसार Manual Part-1 की हस्ताक्षरति प्रतिलिपि, एन0पी0पी0 एवं क्षतपूरक वनरोपण कराने हेतु मांग के अनुसार जमा करने हेतु दिये गये वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की हस्ताक्षरति प्रतिलिपि अपलोड करते हुये हार्ड कॉपी प्रस्ताव में लगाना अनिवार्य है।	पार्ट-1 के Additional Information Details में ED, Nodal द्वारा प्राप्त दशिया नरिदेश के अनुसार Manual Part-1 की हस्ताक्षरति प्रतिलिपि, एन0पी0पी0 एवं क्षतपूरक वनरोपण कराने हेतु मांग के अनुसार जमा करने हेतु दिये गये वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की हस्ताक्षरति प्रतिलिपि अपलोड कर दिया गया है अवेम हार्ड कॉपी प्रस्ताव में संलग्न किया जा रहा है।

1	प्रस्ताव में संलग्न सभी पृष्ठों का नंबरिंग पीछे करना है, जबकि आगे से किया हुआ है एवं अनुलग्नक अंकित नहीं है। इसमें सुधार की आवश्यकता है।	प्रस्ताव में संलग्न सभी पृष्ठों का नंबरिंग पीछे साइड कर दिया गया है एवं अनुलग्नक अंकित कर दिया गया है।
2	पार्ट-1 के कंडिका M में Total of mining lease in (ha.):495.92 ha. रकबा अंकित है जिसमें 276.04 हे0 वनभूमि लेने का उल्लेख किया गया है। उक्त परियोजना के विरुद्ध पूर्व में 96.72 हे0 वनभूमि पर भारत सरकार द्वारा अंतिम स्वीकृति प्राप्त है। दोनों का रकबा मलिन करने पर वनभूमि हेतु उल्लेखित रकबा में भिन्नता पायी गई है इसमें सुधार की आवश्यकता है।	पार्ट-1 के कंडिका M में Total of mining lease in (ha.):495.92 ha. रकबा अंकित है जिसमें 276.04 हे0 वनभूमि लेने का उल्लेख किया गया है। उक्त परियोजना के विरुद्ध पूर्व में 96.72 हे0 वनभूमि पर भारत सरकार द्वारा अंतिम स्वीकृति प्राप्त है। 96.72 Ha में से 83.68 Ha Magadh OCP एवं 13.04 Ha संघमति परियोजना के लिए लिया गया है जिसे Table-A में दर्शाया गया है।
3	मागध परियोजना हेतु CB Act, 1957 के तहत अधिग्रहीत भूमि का KML File जिसमें वनभूमि / जंगल झाड़ी भूमि अलग-अलग रंगों से अंकित हो। उसे उपलब्ध कराना अनिवार्य है।	KML file CD में संलग्न किया जा रहा है।
4	मागध ओसी0पी0 96.72 हे0 अपयोजित वनभूमि का KML File जिसमें वनभूमि / जंगल-झाड़ी भूमि अलग-अलग रंगों से अंकित हो। उसे उपलब्ध कराना अनिवार्य है।	मागध ओसी0पी0 96.72 हे0 अपयोजित वनभूमि का KML File में वनभूमि / जंगल-झाड़ी भूमि अलग-अलग रंगों से अंकित कर संलग्न किया जा रहा है।


 NIRPENDRA NATH
 Project Officer
 Magadh Project

5	मागध परियोजना के लिए Coal Bearing Area के तहत अधगिरहति कुल रकबा जिसमें वनभूमी / गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी / रैयती भूमिका स्पष्ट उल्लेख हो तत्पश्चात उसमें से 96.72 हे० वनभूमी जिस पर भारत सरकार द्वारा कार्य करने की अनुमति प्रपात है। उसकी पूर्ण विवरणी तथा प्रस्तावित परियोजना हेतु प्रभावित भूमियों की पूर्ण विवरणी के साथ भूमिविवरणी एवं सारांश प्रस्ताव के साथ तैयार कर संलग्न करना अनिवार्य है।	मागध परियोजना के लिए Coal Bearing Area के तहत अधगिरहति कुल विवरणी संलग्न किया जा रहा है।
6	प्रस्ताव में संलग्न Authenticated Land schedule as per खतयान पार्ट-2 के अनुसार प्लॉटवार भूमी का कस्मि अंकित नहीं है। इसमें सुधार की आवश्यकता है।	Authenticated Land schedule में सुधार कर जमा किया जा रहा है।
7	मौजा- सरादु के प्लॉट संख्या-490 रकबा-0.42 हे०, प्लॉट संख्या- 494 के रकबा- 0.08 हे०, 820 के रकबा- 0.83 हे०, 436पी० के रकबा- 0.8650 कुल 2.19 हे० एवं मौजा कुंडी के प्लॉट संख्या 353 के रकबा- 0.20 हे०, 355 के रकबा-0.42 हे०, 365 के रकबा- 1.67 हे० कुल 2.29 हे० दोनों मौजा के रकबा को अपयोजित होने वाले वनभूमी में शामिल करना होगा क्यों कि उक्त प्लॉटों का भूमिका कस्मि खतयान पार्ट-2 में जंगल-झाड़ी दर्ज है।	Authenticated Land schedule में सुधार कर जमा किया जा रहा है।
8	प्रस्ताव में संलग्न Authenticated Land schedule के मौजा सरादु के प्लॉट नं०-594, 629 एवं 631 तथा मौजा- कुंडी के प्लॉट संख्या- 399 में भूमिका कस्मि अंकित नहीं है एवं खाली है। ऐसी स्थिति उपरोक्त ग्रामों के संबंध में रविजिनल सर्वे (RS) हुआ है अथवा नहीं। यदि रविजिनल सर्वे (R_S) हुआ है तो विभागीय पत्रांक - 05/संभू० लातेहार (विविधि) -181 / 18(छाया संचिका) -4715 दिनांक 27.11.2018 द्वारा जारी निर्देश के आलोक में विषयक प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई करने के पूर्व संबंधी उपायुक्त द्वारा नरिगत प्रमाण पत्र एवं आपसे वचनवद्धता की आवश्यकता है। साथ ही कहना है की Authenticated Land schedule की मूल एवं पट्टीवार परती संलग्न करना अनिवार्य है।	प्रस्ताव में संलग्न Authenticated Land schedule के मौजा सरादु के प्लॉट नं०-594, 629 एवं 631 तथा मौजा- कुंडी के प्लॉट संख्या- 399 में भूमिका कस्मि अंकित कर के जमा किया जा रहा है।
9	अपयोजित होने वाले वनभूमि में 135.07 हे० गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि प्रभावित होंगे परन्तु उपायुक्त, चतरा द्वारा 546.30 एकड़ (221.17 हे०) गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी भूमिका नरिगत अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न है। दोनों में वशिधाभाषी है स्पष्ट किया जाय साथ ही मौजा सरादु का कुल रकबा- 2.19 हे० एवं कुंडी का कुल रकबा-2.29 हे० जंगल-झाड़ी भूमिका सक्षम स्तर से नरिगत अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवश्यक है।	उपायुक्त, चतरा द्वारा 222.17 Ha गैर मजरूआ JJ NOC कम्पोजिट फोर मागध OCP , आम्रपाली OCP एवं रोड प्रपोजल के लिए नरिगत किया गया है जिसमें से 135.07 Ha मागध OCP के लिए नरिगत किया गया है। detailed Excel sheet attached as Annexure A
10	अपयोजित होने वाले वनभूमि कुल 192.30 to है, परन्तु उपायुक्त, चतरा द्वारा 661.10 है एवं 32.15 वनाधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित नरिगत प्रमाण-पत्र संलग्न है। दोनों में वशिधाभाषी है। स्पष्ट किया जाय।	उपायुक्त, चतरा द्वारा 661.10 Ha कम्पोजिट फोर मागध OCP , आम्रपाली OCP एवं रोड प्रपोजल के लिए नरिगत किया गया है जिसमें से 115.51 Ha मागध OCP के लिए नरिगत किया गया है अवेम 32.15 Ha अलग से नरिगत किया गया है। detailed Excel sheet attached as Annexure A
11	वृक्षों की गणना सूची संलग्न नहीं है।	वृक्षों की गणना सूची संलग्न की जा रही है।


 NIRPENDRA NATH
 Project Officer
 Magadh Project

12	वर्षियगत परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा नरिगत पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र में मौजासरादु, देवलगडा, आरा, चमातु, गणेशपुर एवं फुलवरया में कोल खनन परियोजना का नरिमाण किया जाएगा, परन्तु प्रस्ताव में संलग्न भूमि विवरणी में मौजा- मासीलौग, देवलगडा, सराद एवं कुण्डी में कोल खनन परियोजना नरिमाण हेतु वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव समर्पति है। अतः दोनो में वरिधाभाषी है। स्पष्ट करें।	नरिगति किया हुआ पर्यावरणीय स्वीकृति दो ज़िला (चतरा एवं लातेहार) के लिए प्रदान किया गया है। लातेहार ज़िला में CS vs RS इशु के वजह से यह प्रपोसल केवल चतरा ज़िला के लिए किया गया है जिसमें मासीलौग, देवलगडा, सराद एवं कुण्डी में कोल खनन परियोजना नरिमाण हेतु वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव समर्पति है।
13	अपयोजति होने वाली वनभूमि में ES / जैविक विविधता / नेशनल पार्क / वन्य प्राणी आश्रयणी / टाईगर प्रोजेक्ट क्षेत्र नहीं पड़ता है, से संबंधित वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।	अपयोजति होने वाली वनभूमि में ES / जैविक विविधता / नेशनल पार्क / वन्य प्राणी आश्रयणी / टाईगर प्रोजेक्ट क्षेत्र नहीं पड़ता है, से संबंधित वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जा रहा है।
14	अपयोजति होने वाली वनभूमि में पुराने कलिा, मंदिर एवं बंगला नहीं है, के संबंध में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।	अपयोजति होने वाली वनभूमि में पुराने कलिा, मंदिर एवं बंगला नहीं है, के संबंध में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जा रहा है।
15	अपयोजति होने वाली वनभूमि के संबंध में वन्य प्राणी प्रबंधन योजना हेतु माँगी गई राशी जमा करने संबंधी वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।	अपयोजति होने वाली वनभूमि के संबंध में वन्य प्राणी प्रबंधन योजना हेतु माँगी गई राशि जमा करने संबंधी वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जा रहा है।
16	प्रस्ताव के साथ अपयोजति होने वाला वनभूमि का Geo-reference map in shape file भारत सरकार से प्राप्त मान्यता के अनुरूप संलग्न नहीं है। एवं इस क्रम में तैयार किये गये file की प्रती संलग्न नहीं है।	Geo refence map in shape file में सुधार कर संलग्न किया जा रहा है एवं इस क्रम में तैयार किये गए file की प्रती भी संलग्न किया जा रहा है।
17	वर्षियगत परियोजना में CBA-1957 के तहत अधगिरहति भूमि में भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति एवं शेष बचे भूमि हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का भूमि विवरणी एवं सरांश प्रस्ताव में संलग्न होना अनिवार्य है, जो नहीं है।	CBA-1957 के तहत अधगिरहति भूमि विवरणी एवं सरांश प्रस्ताव में संलग्न किया जा रहा है।
18	प्रस्ताव के साथ RR Plan संलग्न नहीं है।	प्रस्ताव के साथ RR Plan संलग्न किया जा रहा है।
19	प्रस्ताव के साथ Reclamation plan संलग्न नहीं है।	प्रस्ताव के साथ Reclamation plan संलग्न किया जा रहा है।
20	प्रस्ताव में संलग्न मौजा मैप पर दिखाए गये लीज क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पूर्व में प्राप्त स्वीकृति हेतु क्षेत्र को अलग-अलग रंगों से दर्शाते हुए इण्डेक्स में दिखा कर नक्शा संलग्न नहीं है।	मौजा मैप पर दिखाये गए लीज क्षेत्र को अलग-अलग रंगों से दर्शाते हुए इंडेक्स में दिखा कर नक्शा संलग्न किया जा रहा है।

21 प्रस्ताव में संलग्न भूमि विवरणी में दिखाये गये रकबा एवं नक्शा पर वन भूमि अपयोजन हेतु प्रस्तावित रकबा मापी कराने का उपरांत काफी भिन्नता पाई गई है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। साथ ही कहना है कि कहीं भी दक्षिण आता है, तो हमारे प्रमंडलीय अमीन से संपर्क स्थापित कर उसकी पुष्टि किया जा सकता है।	नक्शा में सुधार कर संलग्न किया जा रहा है।
22 प्रस्ताव के साथ मदवार (Component wise) विवरणी में Quarry, OB Dump, Conveyor Corridor, Road, Safety Zone एवं Green Zone का उल्लेख है, परन्तु इनके कार्य एवं उद्देश्य स्पष्ट नहीं किये गये हैं। इसे स्पष्ट करना आवश्यक है।	प्रस्ताव के साथ मदवार (Component wise) विवरणी में Quarry, OB Dump, Conveyor Corridor, Road, Safety Zone एवं Green Zone के कार्य एवं आदेश को Annex संलग्न किया जा रहा है।
23 मगध ओ0सी0पी0 96.72 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा अंतिम स्वीकृति प्राप्त है। उक्त अपयोजित वनभूमि का KML File एवं Geo-reference map in shape file समर्पित करना अनिवार्य है। ताकि प्रस्तावित अपयोजित होने वाले वनभूमि क्षेत्र में ओवर लेप न हो उसका मलिन किया जा सकें।	मगध ओ0सी0पी0 96.72 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा अंतिम स्वीकृति प्राप्त है। उक्त अपयोजित वनभूमि का KML File एवं Geo-reference map in shape file संलग्न किया जा रहा है।


 NIRPENDRA NATH
 Project Officer
 Magadh Project